

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2021

सूचना

क्र. एफ-3-68-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा गुना निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना, 2035 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(2) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर जिला गुना, मध्यप्रदेश
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय गुना, मध्यप्रदेश.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् गुना, मध्यप्रदेश.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2021

क्र. एफ-03-68-2021-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक-एफ-3-68-2021-अठारह-5, दिनांक 27 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal the 27th September 2021

NOTICE

No. F-3-68-2021-XVIII-5.—Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Guna (Planning Area) 2035 under sub-section (2) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

1. Commissioner, Gwalior Division, Gwalior, Madhya Pradesh.
2. Collector, District Guna, Madhya Pradesh.
3. Deputy Director, Town & Country Planning, District Office Guna, Madhya Pradesh
4. Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad Guna, Madhya Pradesh.

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh, Gazette under section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.